

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(308) ग्राविवि/गुप-5/पीएमएवाई/अभि./आंगनबाड़ी/ 2016-17 जयपुर, दि. 16.01.2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद, अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर,  
पाली, हनुमानगढ़, अजमेर, सीकर, भीलवाडा,  
जयपुर, चित्तौड़गढ़, बून्दी, डूंगरपुर, कोटा,  
सवाई माधोपुर, चूरू, झुन्झुनू, बांसवाडा, उदयपुर,  
नागौर, सिरोही, बीकानेर, जोधपुर, करोली एवं राजसमंद।

**विषय:-** वर्ष 2007-08 में आयोजना मद के अन्तर्गत स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण कार्य पूर्ण कराने एवं पूर्ण केन्द्रों का सम्भलाने तथा समय पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने की स्थिति में उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने बाबत।

**प्रसंग:-** शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के अ.शा पत्र क्रमांक 29(1) (1)/मो./भनि/ICDS/2006-07/4711 दिनांक 10.01.2017

मे.ए.ए.ए.

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 में **आयोजना मद** के अन्तर्गत स्वीकृत 1571 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण के लिये जिलेवार लक्ष्य आवंटित कर आवश्यक राशि जिला परिषद के पीडी खातों में आवंटित कर कार्यों को पूर्ण कराने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती दि 21.11.2007 के अनुसार आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध सम्बंधित जिलों के उपनिदेशकों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण की प्रगति एवं निर्माण से शेष रहे आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का जिलेवार विवरण दर्शाया गया है (परिशिष्ट-1)।


वर्ष 2007-08 में आयोजना मद के अन्तर्गत स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण कार्य पूर्ण कराने एवं पूर्ण केन्द्रों का सम्भलाने तथा समय पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने आदि की स्थिति को राजस्थान विधानसभा जन लेखा समिति ने गम्भीरता से लिया गया है एवं निर्देशानुसार उक्त कार्य समय पर पूर्ण नहीं कराने वाले अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी है। इस सम्बंध में विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 07.12.2016 के द्वारा शेष रहे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने, पूर्ण केन्द्रों को विभाग को सम्भलाने एवं समय पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने की स्थिति में उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने बाबत निर्देशित किया गया था, परन्तु प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कई जिलों में अभी भी निर्माण कार्य अपूर्ण हैं एवं जि.प. से स्वीकृत केन्द्रों की संख्या, आवंटित राशि व व्यय राशि में भी अन्तर दृष्टिगत हो रहा है।

अधिकांश जिलों में आवंटित लक्ष्य के अनुसार आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया गया व जो पूर्ण है उन्हें विभाग को हस्तान्तरित नहीं किये गये हैं। इसके साथ ही आंगनबाडी भवन निर्माण कार्यों की कुल संख्या व अधिनस्थ कार्यालयों से प्राप्त सूचना अनुसार 4 जिलों (चित्तौड़गढ़, सिरौही, करोली एवं राजसमंद) में आंगनबाडी भवन निर्माण की प्रगति शून्य है तथा कई जिलों में स्वीकृत कार्यों की संख्या में भी अन्तर है।

शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के अ.शा. पत्र दिनांक 10.01.2017 द्वारा अवगत कराया है कि कई पत्र एवं अ.शा. पत्रों द्वारा निर्देशित करने के उपरान्त भी अपेक्षित कार्यवाही करते हुये अद्यतन प्रगति की सूचना निदेशालय समेकित बाल विकास विभाग को एवं इस विभाग को भिजवायी जानी थी परन्तु अपेक्षित कार्यवाही कर अद्यतन सूचना का अभाव रहा है। दिनांक 24.01.2017 को विधानसभा में जनलेखा समिति की बैठक प्रस्तावित है। जिसमें उक्त सम्बन्ध में प्रगति से अवगत कराया जाना है।


अतः इस सम्बन्ध में निर्देशानुसार पुनः निर्देशित है कि विभाग द्वारा जारी स्वीकृति एवं आवंटित/हस्तान्तरित कुल राशि के विरुद्ध जिला परिषद् द्वारा स्वीकृत एवं पूर्ण, हस्तान्तरित, आंगनबाडी केन्द्रों का विवरण एवं प्राप्त व व्यय राशि आदि का विवरण परिशिष्ट-2 में दिनांक 20.01.2017 तक ई-मेल pdengg\_rdd@yahoo.com पर भिजवाने का श्रम करावें। साथ ही प्रगतिरत, अपूर्ण एवं अप्रारम्भ/निरस्त आंगनबाडी केन्द्रों का केन्द्रवार सूचना कारणों सहित पृथक से भिजवाने का श्रम करावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

  
(के. के. शर्मा)  
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

- 1 निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
- 3 निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें, 2, जल पथ, गांधीनगर, जयपुर।

  
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

## वित्तीय वर्ष 2007-08 में आयोजना मद में स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की वर्तमान स्थिति

क.सं.	जिला का नाम	विभाग द्वारा स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की संख्या (प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति दिनांक 21.11.2007 के अनुसार)	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	कुल योग	स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की संख्या	पूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्र भवन की संख्या	विभाग को हस्तान्तरित आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	संबंधित उप निदेशकों से प्राप्त सूचना का विवरण	आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण जो प्रगति पर है	आंगनवाड़ी केन्द्र भवन जो प्रारम्भ नहीं हुए	आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण जो निरस्त किये गये	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या में अन्तर (कॉलम 3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
1	अलवर	173	173.00		173.00	77	59	45	14	3	15		96
2	भरतपुर	78	78.00	78.00	156.00	78	66	66		8		4	
3	श्रीगंगानगर	24	24.00		24.00	14	14	14					10
4	पाली	97	97.00	97.00	194.00	97	88	88			5	4	
5	हनुमानगढ़	26	26.00	26.00	52.00	20	20	20					6
6	अजमेर	64	64.00		64.00	64	29	29			30	5	
7	सीकर	52	52.00		52.00	26	25	25				1	26
8	भीलवाड़ा	104	104.00	104.00	208.00	56	37	37		12		7	48
9	जयपुर	172	172.00		172.00	172	135	135		37			30
10	चित्तौड़गढ़	30	15.00		15.00								
11	बून्दी	105	105.00	105.00	210.00	95	12	12		83			10
12	झुंजरपुर	23	11.50		11.50	23	23	23					
13	कोटा	135	135.00		135.00	86	38	3	35	48			49
14	सवाई माधोपुर	18	18.00		18.00	6	6	6					12
15	चूरु	39	39.00		39.00	27	21	21			6		12
16	झुन्झुनू	31	31.00	31.00	62.00	31	30		30			1	
17	बांसवाड़ा	125	62.50		62.50	54	54	54					71
18	उदयपुर	38	19.00		19.00	38	30		30	3		5	
19	नागौर	110	110.00		110.00	73	53	53			20		37
20	सिरोही	47	23.50		23.50								47
21	बीकानेर	7	7.00		7.00	7	7	7					
22	जोधपुर	18	18.00		18.00	18	18		18				
23	करोली	37	37.00		37.00								37
24	राजसमंद	18	18.00		18.00								18
	<b>Total</b>	<b>1571</b>	<b>1439.50</b>	<b>441</b>	<b>1880.50</b>	<b>1062</b>	<b>765</b>	<b>638</b>	<b>127</b>	<b>194</b>	<b>76</b>	<b>27</b>	<b>509</b>

